सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी)
क्षेत्रीय केन्द्र, 3बी, अम्बावगढ़, स्वरूपसागर के नजदीक
उदयपुर–313001, राजस्थान

निविदा सूचना

सीसीआरटी द्वारा देशभर से प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित प्रशिक्षणार्थियों को क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में दैनिक भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु सुस्थापित एवं अनुभवी फर्मों से दिनांक 24 मार्च, 2017 की दोपहर 02.00 बजे तक निर्धारित निविदा प्रपत्र में ''मुहरबंद प्राप्त निविदायें'' आमंत्रित की जाती हैं। इस निश्चित तारीख को ही सायं 03.00 बजे निविदाएं क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में खोली जाएंगी। अनुबंध ,d vFkok nk o"kk rd के लिये किया जाना है। फर्म का चयन, फर्म द्वारा निश्चित निविदा प्रपत्र पर वर्णित दरों एवं अन्य तथ्यों के संतोषजनक पाए जाने पर, प्रारंभ में एक वर्ष के लिए दी गई दरों के आधार पर ही किया जाएगा।

संबंधित निविदा विवरण प्रपत्र रुपये 200/– (रुपये दो सौ) के नगद भुगतान पर अवकाश दिवस के अतिरिक्त किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 09.30 बजे से सायं 05.00 बजे तक विशेषाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, 3बी, अम्बावगढ़, स्वरूपसागर के नजदीक, उदयपुर, राजस्थान (फोन नम्बर 0294–2430764) से प्राप्त किया जा सकता है।

विशेषाधिकारी

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र,
क्षेत्रीय केन्द्र, 3 बी, अम्बावगढ़, स्वरूपसागर, उदयपुर (राज0)
फोन नं. 2430764, फैक्स 2430771

सीसीआरटी क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर के प्रशिक्षणार्थियों हेतु भोजन, नाश्ता, चाय व्यवस्था की निविदा के मानदण्ड/शर्तों का विवरण

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी) नयी दिल्ली, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की संस्था है। सीसीआरटी देश के सेवारत शिक्षकों के लिये अल्प अवधि के प्रशिक्षण आयोजित करता है। अधिकांश प्रशिक्षणों की अवधि 10 से 15 दिनों एवं कुछ प्रशिक्षण 18 से 20 दिन के होते हैं।

सीसीआरटी सामान्यतः प्रतिमाह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये सुस्थापित केटरर्स फर्मों से भोजन व्यवस्था हेतु निविदायें आमंत्रित करता है, जिसका अनुबंध दिनांक 31.3.2018 तक मान्य होगा।

- सुबह (प्रातःकालीन) चाय – एक कप (150 मिली)

- <u>नाश्ता विवरण :</u>

  ब्रेड 4 पीस + बटर जेम के साथ
  या
  पोहा 1 प्लेट + नमकीन
  या
  इडली 2 पीस + सांबर 2 कटोरी
  या
  डोसा 2 पीस + सांबर 2 कटोरी
  या
  उपमा + केसरी भात 2 कटोरी
  या
  पूड़ी 4 पीस + आलु सब्जी
  या
  आलू परांठा 2 पीस + दही
  या
  प्लेन परांठा 2 पीस + सब्जी
  या
  छोला + भटूरे 2 पीस
  या
  कचौरियां 2 पीस + जलेबी 2 पीस
  या
  समोसा 2 पीस + जलेबी 2 नग
  या
  आलू बड़ा 2 पीस + जलेबी 2 नग

  नाश्ते के साथ चाय – एक कप (150 मिली)

- <u>भोजन (दोपहर / रात्रि) सामग्री विवरण :</u>

1.	चपाती / फुलका / दुप्पड़ / पूड़ी	– असीमित
2.	चावल	– असीमित
3.	हरी सब्जी (मौसमी सब्जियां)	– असीमित
4.	दाल	– असीमित
5.	दही / छाछ / रायता	1 कटोरी – 150 मिली लीटर
6.	पापड़	– आवश्यकतानुसार
7.	सलाद (प्याज / तरकारी / निम्बू आदि)	– आवश्यकतानुसार
8.	आचार / चटनी	– आवश्यकतानुसार
9.	मिठाई (प्रतिदिन सिर्फ दोपहर के भोजन के साथ)	– सीमित
10.	चाय प्रातः 11.15 एवं अपरान्ह 3.15 बजे बिस्किट के साथ (2 मारी गोल्ड / सुप्रतिष्ठित कम्पनी के)	

<u>शर्तें एवं मानदण्ड</u>

1. नाश्ता, दोपहर भोजन एवं रात्रि भोजन सम्भागियों की आवश्यकतानुसार पूर्ण मात्रा में होगा।
2. भोजन ताजा, स्वादिष्ट एवं पौष्टिक होगा।
3. सर्विस प्लेट, ग्लास, कटोरी, चम्मच, ईंधन (गैस) इत्यादि केटरर की व्यवस्था होगी।
4. केटरिंग स्टाफ स्वच्छ वस्त्रों में, सम्भागियों एवं सीसीआरटी स्टाफ के साथ व्यवहार कुशल होंगे।
5. रिफाईंड तेल (आई एस आई / एगमार्क) केटरर द्वारा उपयोग में लाया जायेगा।
6. दुध की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए (सरस / उदयपुर / अमूल डेयरी)
7. उपरोक्त वांछित व्यवस्था (चाय, ना ता + चाय, दो समय का भोजन तथा दो चाय की) की आरक्षित दर (Base Price) रुपये 145 /– कुल / समग्र दर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पूर्ण निश्चित की गयी है।
8. सीसीआरटी द्वारा प्रति व्यक्ति निश्चित की गई कुल / समग्र निर्धारित दर (Base Price) से क्रम की दरें अमान्य होंगी।
9. फर्म प्रोप्राटर को स्वयं अपनी देखरेख में सम्भागी / अतिथियों के साथ सद्व्यवहार से भोजन कराना अपेक्षित होगा।
10. चावल, दाल, गेहूँ इत्यादि अच्छी क्वालिटी /किस्म का होना अपेक्षित है।
11. प्रत्येक प्रशिक्षण में अनुमानित 60–100 सम्भागी होंगे तथापि भुगतान वास्तविक संख्या के आधार पर होगा, जो कि पंजीकरण उपरान्त ही निश्चित हो सकेगा।

12. भोजन स्थल व रसोई घर को स्वच्छ व व्यवस्थित रखना होगा।

13. भोजन का बिल प्रशिक्षण के अन्तिम दिन वास्तविक सम्भागी संख्या अनुसार भुगतान हेतु पारित किया जा सकेगा।

14. चाय, नाश्ता–चाय, दोपहर भोजन एवं रात्रि भोजन की अलग–अलग विभाजित दर अंकित करनी होगी। व्रत–उपवास की स्थिति में समान दर का फलाहार उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा।

15. प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आवश्यकतानुसार सीसीआरटी द्वारा 100 से 200 स्कूली विद्यार्थियों को 1 या 2 दिन के लिए आमंत्रित किया जाता है जिनके लिये प्रावधान अनुसार दोपहर भोजन या नाश्ता की दर केन्द्र द्वारा अलग से दी जावेगी।

16. सुस्थापित एवं अनुभवी केटरिंग फर्म होनी चाहिये जो केटरिंग/भोजन व्यवस्था के कारोबार के लिये विधिवत नियमित/पंजीकृत हो तथा उन्हें इस व्यवसाय में न्यूनतम पांच वर्ष का सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं में उत्तम क्वालिटी की सेवा संतोषप्रद रूप से देने का अनुभव हो। इसके साथ उनका इस व्यवसाय में विगत तीन वर्षों में रुपये 75 लाख का टर्न ओवर प्रतिवर्श किया हो तथा इनके पास इस कार्य हेतु योग्यता प्राप्त कर्मियों की पर्याप्त संख्या हो। (इस संबंध में तीन संस्थाओं में उत्तम स्तर की सेवा दी हो, उनका नाम/पता एवं अन्य विवरण अंकित कर सन्तोषप्रद सेवा प्रदान करने का प्रमाण पत्र टर्न ओवर के प्रमाण पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है)

17. विगत पांच वर्षों की व्यवसायिक आय एवं आयकर का विवरण संलग्न करें।

18. निविदाकार को निविदा में सीसीआरटी द्वारा निर्धारित मानदण्डों /शर्तों की जानकारी होने एवं सहमत होने का घोषणा पत्र देना होगा।

19. किसी भी निविदा को बिना कारण दर्शाये अस्वीकृत करने का निदेशक, सीसीआरटी को पूर्ण अधिकार होगा। निदेशक का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा जिसके लिये किसी प्रकार का पत्राचार अमान्य होगा।

20. स्वीकृत अनुबंध की शर्तों के अनुसार सेवायें संतोषप्रद नहीं पायी जाने की स्थिति में अनुबंध निरस्त करने का अधिकार निदेशक, सीसीआरटी के पास सुरक्षित होगा।

21. राज्य एवं केन्द्र सरकार से संबंधित कर राशि एवं अन्य कटौती सीसीआरटी द्वारा नियमानुसार बिल भुगतान राशि में से की जाएगी। इस हेतु फर्म का ''स्थायी खाता संख्या'' एवं उचित व्यावसायिक अनुमति सम्बन्धित प्रमाण–पत्र एवं फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

22. सेवा अनुबंध की अवधि सभी सामान्य परिस्थितियों में 31 मार्च, 2018 तक मान्य रहेगी।

23. किसी भी स्थिति में 31/03/2018 तक स्वीकृत दरों में बदलाव नहीं होगा।

24. निविदादाता को fufonk d: lkFk केन्द्र में धरोहर राशि रू. 10,000/– (रूपये दस हजार) का बैंक ड्राफ्ट निदेशक, सी.सी.आर.टी. नई दिल्ली के पक्ष में l;yXu djuk

vfuok;l gk\xk] ऐसा न पाए जाने पर निविदा मान्य नहीं मानी जाएगी एवं ऐसी निविदाओं पर विचार भी नहीं किया जाएगा। अनुबंध निश्चित होने पर असफल रही फर्म को राशि रुपये 10,000/- (रूपये दस हजार) ड्राफ्ट सीसीआरटी द्वारा पुनः लौटा दी जायेगी।

25. स्वीकृत अनुबंधित फर्म से बैंक ड्राफ्ट के रूप में रू. 1,00,000/- (रूपये एक लाख) का बैंक ड्राफ्ट निदेशक, सीसीआरटी नई दिल्ली के नाम से बतौर सुरक्षा राशि अनुबंध अवधि समाप्ति तक बिना ब्याज केन्द्र में जमा होगी जो कि अनुबन्ध समाप्ति पर पुनः लौटायी जाऐगी।

26. राज्य/केन्द्र सरकार के केटरिंग फर्मों के अधिनियमों/नियम की पालना स्वीकृत फर्म के द्वारा की जानी होगी। स्वीकृत फर्म द्वारा समस्त संवैधानिक / वैधानिक नियमों की अनुपालना न करने के लिए सीसीआरटी उत्तरदायी नहीं रहेगी।

27. निम्नलिखित आवश्यक प्रपत्र फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने के साथ संलग्न किए जाने चाहिए, अन्यथा फर्म निविदा निरस्त कर दिए जाने की पात्रता रखेगी।

1. लेबर लाईसेंस प्रमाण पत्र

2. म्यूनिसिपल फूड लाईसेंस प्रमाण पत्र

3. रजिस्ट्रेशन एवं पी.एफ. खाता संख्या

4. सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र

5. ई.एस.आई. प्रमाण पत्र

6. पेन नं.

7. आयकर क्लीयरेंस प्रमाण पत्र

8. बैंक से सोलवेंसी प्रमाण पत्र

9. स्वीकृत फर्म द्वारा 03 फर्मों से संतोशजनक कार्य निष्पादन प्रमाण पत्र

10. विगत 03 वर्षों की निविदा फर्म की बैलेंस शीट

11. निविदा जमा करा रही फर्म का शॉप एवं स्टेबलिश रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र।

28. किसी भी प्रकार के विवाद के न्यायिक निपटान के लिए उदयपुर स्थित सेशन न्यायालय का कार्यक्षेत्र रहेगा।

29. निविदा का लिफाफा मुहरबंद होना चाहिए तथा लिफाफे के दायीं ओर ''भोजन हेतु निविदा'' स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए।

परिशिष्ट–।

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र,
क्षेत्रीय केन्द्र, 3 बी, अम्बावगढ़, स्वरूपसागर, उदयपुर (राज0)
फोन नं. 2430764, फैक्स 2430771

भोजन, नास्ता, चाय व्यवस्था हेतु निविदा प्रपत्र (नमूना प्रति जो कि फर्म द्वारा अपने लेटर पेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

दिनांक 1.4.2017 से 31.3.2018 तक

क्र.सं.	खाद्य सामग्री का विवरण समय	मात्रा	दर
1.	प्रातः चाय		
2.	नाश्ता चाय + स्टैंडर्ड साइज 2 ब्रेड पीस		
3.	चाय + 2 बिस्किट		
4.	दोपहर भोजन		
5.	सांय काल चाय + 2 बिस्किट		
6.	रात्रि भोजन		

घोषणा :

मैंने/मेरी फर्म ने सीसीआरटी द्वारा दी गई / वर्णित सम्बन्धित शर्तों को संज्ञान में लिया है, और मैं/मेरी फर्म निविदा के मानदंड/शर्तों के विवरण से सहमति रखते हैं।

हस्ताक्षर मय सील